

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं02(01)चिस्वा/2/2024/ई-13930

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0जयपुर।

विषय:- डॉ. दाऊलाल रंगा, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस डिस्पेंसरी, जोधपुर को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. दाऊलाल रंगा, (जन्मतिथि 02.06.1962) प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस डिस्पेंसरी, जोधपुर, जो 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. दाऊलाल रंगा के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
- 3- डॉ. दाऊलाल रंगा, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस डिस्पेंसरी, जोधपुर (जन्मतिथि 02.06.

1962)।

4- रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

RajKaj Ref  
6768220

शासन संयुक्त सचिव

Document certified by NISHA MEENA  
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary  
Government of Rajasthan

Date :26-04-2024 12:27:14

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-338/2024/95

दिनांक : 3/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प02(01)चिस्वा/2/24/ई-13930 जयपुर दिनांक 26.04.2024
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
7. डॉ0 दाऊलाल, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस डिस्पेन्सरी, जोधपुर द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
6882663



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation : Additional Director  
Date: 2024.05.01 11:14:03  
Reason: Approved